संख्या-80/2021/846/23-10-21-44(सा0)/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2021**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि योजना में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 04 चालू ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।**

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (बजट क वर्ग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-3360बी0जी0/7बी0/ग्रामीण मार्ग/2021-22 दिनांक 27.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि योजना में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 04 चालू ग्रामीण मार्गों के निर्माण** कार्य हेतु कॉलम-09 में अंकित कुल लागत रू0 515.70 लाख (रूपये पॉच करोड़ पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष **स्वीकृति प्रदान** करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

d0 l0	[k.M dk uke	dk;Z dk uke	Lohdfr dk 'kklukns'k	Lohdr yEckbZ	Lohdr ykxr	31-03-2021 rd vkoVu@0;;	01-04-21 dk vo'ks"k	foRrh; o"kZ 2021&22 esa vkoVu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 बलरामपुर	राजाजोत से नियामजोत से चपरहवा चौराहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	237/2016/24 आ0व्या0वि0नि0 /23-10-16-09 (व्या0वि0नि0)/16, दि- 15.12.2016	3.10	175.31	53.00	122.31	**87.25**
2	नि.ख.-1 बलरामपुर	इटईरामपुर से शेखावतडीह, हुलासडीह जोविवाडीह से मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	220/2016/19 आ0व्या0वि0नि0 /23-10-16-19(व्या0वि0नि0)/16, दि- 30.11.2016	5.00	287.52	164.21	123.31	**65.81**

http://shasanadesh.up.nic.in

3	प्रा0ख0 बिजनौर	जनपद बिजनौर में कोपा से हरेवली शेरकोट मार्ग (नूरपुर छिपरी) का निर्माण कार्य (ग्रामीण मार्ग)	259/2016/16 आग0व्या0वि0नि0/23-10-16-16(व्या0वि0नि0)/16, दि-30.12.2016	9.65	690.56	250.62	439.94	**301.83**
4	प्रा0ख0 बिजनौर	नगला गन्ना से नैनसीवाला होते हुये फतेहपुर मार्ग का निर्माण कार्य	220/2016/19 आ0व्या0वि0नि0/23-10-16-19(व्या0वि0नि0)/16, दि-30.11.2016	7.35	380.73	243.77	136.96	**60.81**
		योग -		**25.10**	**1534.12**	**711.60**	**822.52**	**515.70**

2- अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

3- उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

4- उक्त चालू कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-80 /2021/846(1)/23-10-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
(3) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(4) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(6) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(7) लोक निर्माण अनुभाग-09/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in